-07-

# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या–61/2023

## रमेश गोप बनाम् भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 03/05/24 | इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी रमेश गोप, पिता–रामदेव गोप, निवास ग्राम–बुजुर्ग जमीरा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–144/2021–22 रमेश गोप बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90 प्लॉट नं०–651, रकवा–0.4750 ए०, प्लॉट नं०–652, रकवा–0.2950 ए०, प्लॉट नं०–622, रकवा–0.24 ए० भूमि से संबंधित है।<br><br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।<br><br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90 प्लॉट नं०–651, रकवा–0.4750 ए०, प्लॉट नं०–652, रकवा–0.2950 ए०, प्लॉट नं०–622, रकवा–0.24 ए० भूमि सर्वे खतियान में मकुन एवं उनके भाई कौम ग्वाला के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90 प्लॉट नं०–651, रकवा–0.4750 ए०, प्लॉट नं०–652, रकवा–0.2950 ए०, प्लॉट नं०–622, रकवा–0.24 ए० भूमि के वास्तविक मालिक मुकुन्द गोप एवं उनके भाई थे। उनके मृत्यु के पश्चात् मुकुन्द गोप की पुत्री लवली कुमारी अपने नाना के पास रहती थी। चुँकि लवली कुमारी नाबालिग थी इसलिए उनके नाना ने Principal District Judge, के न्यायालय में Guardianship Case No.-02/2014 (K)/Guardianship Case No.-164/2013 (R) दायर कर Guardianship प्राप्त कर केवाला संख्या–2673, दिनांक–03.09.2014 से अपीलार्थी एवं विपक्षी क्रमांक–03 को | |



Ch

भूमि हस्तांतरण किया गया। उक्त केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया, जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा खारिज किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद का अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर किया गया जिसे बिना किसी आधार पर अपील आवेदन खारिज किया गया।चुँकि उक्त केवाला का निषादन नियमतः हुआ है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी क्रमांक–03 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि केवाला संख्या–2673, दिनांक–03.09.2014 के लेख्यधारी क्रमांक–01 भी है, उन्होंने आगे कहा है कि अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है। खतियानी रैयत मुकुन्द गोप की माईनर पुत्री लवली कुमारी उक्त भूमि की वास्तविक मालिक है। लेकिन कोर्ट से बिना परमिशन लिये हुए अपीलार्थी को भूमि हस्तांतरण किया है, जो नियमसंगत नहीं है। उपरोक्त जमीन में 10/17 एवं 1/18 दो टाईटल सूट, रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में चल रहा है। उनका आगे कहना है कि जब केवाला संख्या–2673, दिनांक–03.09.2014 में लेख्यधारी दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज पोषनीय नहीं है। पूर्व में भी इस न्यायालय से रिवीजन वाद खारिज हो चुका है। इसलिए उन्होने रिवीजन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वत्व वाद संख्या–10/17 एवं 1/18 दो टाईटल सूट दायर किया गया है। साथ ही साथ एक लेख्यधारी के द्वारा आपत्ति भी किया जा रहा है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90 प्लॉट नं०–651, रकवा–0.4750 ए०, प्लॉट नं०–652, रकवा–0.2950 ए०, प्लॉट नं०–622, रकवा–0.24 ए० भूमि सर्वे खतियान में मकुन एवं उनके भाई कौम ग्वाला के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला संख्या–2673, दिनांक–03.09.2014 से भूमि के वास्तविक मालिक के द्वारा भूमि बिक्री की गई है। लेकिन उक्त केवाला में लेख्यधारी दो व्यक्ति है, एक अपीलार्थी है और दुसरा विपक्षी संख्या–03 है, जिसके द्वारा आपत्ति दायर किया गया। साथ ही साथ उक्त भूमि पर Title Suit चल रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–144/2021–22 रमेश गोप बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–19.12.2022 को

पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 03/05/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 03/05/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.07.09 18:33:22 +05:30
Location: 192.168.31.197